मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आ दे श //

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी, 2016

क्रमांक एफ-1(सी)/7/2015/ई/चार, राज्य शासन एतद् व्दारा संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्यप्रदेश के अंतर्गत सहायक संचालक के पद पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को उप संचालक के पद पर वेतनमान रूपये 15600-39100 ग्रेड-पे 6600/- में स्थानापन्न रुप से पदोन्नत करते हुये अस्थायी रुप से आगामी आदेश तक कॉलम-4 में दर्शाये अनुसार पदस्थ करता है :-

क्रं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	प्रस्तावित पदस्थापना	रिमार्क
1	2	3	4	
01	श्री अरूण कुमार शुक्ला	सहायक संचालक आवासीय संपरीक्षा, नगर निगम खण्डवा	**उप संचालक** आवासीय संपरीक्षा विकास प्राधिकरण इंदौर	
02	श्री दयाल सिंह मरकाम	सहायक संचालक आवासीय संपरीक्षा नगर निगम इंदौर	**उप संचालक** आवासीय संपरीक्षा विकास प्राधिकरण भोपाल	
03	श्री गजाधर मण्डलोई	सहायक संचालक आवासीय संपरीक्षा, नगर निगम देवास	**उप संचालक** आवासीय संपरीक्षा नगर निगम उज्जैन	दिनांक 1.3.2016 से पदस्थ।
04	श्री राहुल कुमार झवर	सहायक संचालक आवासीय संपरीक्षा देवी अहिल्या वि.वि. इंदौर	**उप संचालक** आवासीय संपरीक्षा नगर निगम इंदौर	
05	श्री सुरेन्द्र कुमार भटनागर	सहायक संचालक आवासीय संपरीक्षा नगर पालिका, गुना	**उप संचालक** संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा,ग्वालियर	
06	श्री राधेश्याम दोहरे	सहायक संचालक आवासीय संपरीक्षा नगर निगम रतलाम	**उप संचालक** आवासीय संपरीक्षा नगर निगम उज्जैन	दिनांक 29.2.2016 को सेवानिवृत्त होगें।

2/ न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 2897/2008 में माननीय न्यायालय व्दारा पदोन्नति हेतु स्थगन दिये जाने के कारण वर्ष 2009 से 2014 तक कोई पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई। माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 11 मार्च, 2014 से पदोन्नति की अनुमति प्रदान की गई है। जिसके पालन में पदोन्नति आदेश जारी किये गये है। उक्त पदोन्नतियाँ माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी।

3/- उपरोक्त पदोन्नति में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है।

--2--

4-/ उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी आदेश दिनांक से 7 दिवस के अंदर नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण कर पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 27 फरवरी,2016

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-1(सी)/7/2015/ई/चार

प्रतिलिपिः-

1. माननीय वित्त मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन के विशेष सहायक,
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,वित्त के स्टाफ आफीसर,
3. सचिव,मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग के निज सहायक,
4. महालेखाकार,मध्यप्रदेश,ग्वालियर/भोपाल,
5. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा,मध्यप्रदेश,ग्वालियर,
6. अपर संचालक,स्थानीय निधि संपरीक्षा (प्रकोष्ठ),भोपाल,
7. संयुक्त संचालक,क्षेत्रीय कार्यालय,स्थानीय निधि संपरीक्षा,मध्यप्रदेश,ग्वालियर/इंदौर/जबलपुर/रीवा/भोपाल/उज्जैन/सागर,
8. कोषालय अधिकारी, भोपाल/ग्वालियर/इंदौर/उज्जैन/खण्डवा/देवास/गुना/रतलाम,
9. संबंधित अधिकारीगण ---

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(श्रृंखला संगीने)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग